पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.

राजस्व वादपत्र संख्या :–38/2022

1. हंसराज पुत्र रामलाल जाति ब्राह्मण निवासी 2 केएसआर सुरतगढ हाल 21 बीएलडी खाजूवाला

.....प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... अप्रार्थी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट

आदेश दिनांक :–6.4.23

यह प्रार्थी का प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा प्रस्तुत हुआ। प्रार्थनापत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण इसप्रकार है कि प्रार्थी को चक 21 बीएलडी के मु0नं0 216/17 के किला नं0 1, 2, 7 ता 14, 17 ता 25 की 19.00 बीघा अ0क0, मु0नं0 216/18 के किला नं0 1 ता 11, 13 ता 18, 22 ता 25 की 21.00 बीघा अ0क0 भूमि 5.7.1993 को आवंटित हुई थी। मु0नं0 216/17, 18 की आवंटित भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में इंतकाल सं0 51 दिनांक 14.09.95 द्वारा अमलदरामद कर दिया गया है लेकिन उक्त इंतकाल का गिरदावरी में अंकन करते समय मु0नं0 216/17 के किला नं0 7 का अंकन नहीं हुआ जो कि सहवन से दर्ज करने से रह गया। प्रार्थी को उक्त भूमि की गिरदावरी की नकल प्राप्त की एवं खातेदारी लेने हेतु पटवारी के पास गया तो पता चला कि वर्तमान जमाबंदी मं मु0नं0 216/17 के किला नं0 7 का अंकन प्रार्थी के नाम से नहीं है। आराजीराज दर्ज है। तो प्रार्थी ने इंतकाल एवं गिरदावरी की नकल निकलवाई तो पता चला कि इंतकाल का गिरदावरी में नोट लगाते समय किला नं0 7 सहवन से दर्ज करने से रह गया है। प्रार्थी जिसे दुरस्त करवाना चाहता है। नकल इंतकाल एवं गिरदावरी, जमाबंदी संलग्न प्रार्थनापत्र है। प्रार्थनापत्र धारा 136 एलआरएक्ट में पेशकर निवेदन है कि प्रार्थी के किला नं0 7 का जमाबंदी में अंकन किये जाने के आदेश फरमावें।

सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र के पक्ष में दस्तावेज खातेदारी, गिरदावरी आदि की छायाप्रति प्रति पेश की गई। तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट अनुसार चक 21 बीएलडी के मु0नं0 216/17 के किला नं0 7 जमाबंदी संवत् 2065–68, 2069–72, 2073–76 में उक्त किला नं0 7 की प्रविष्टि नहीं है। ऑनलाईन जमाबंदी बनते समय किला नं0 7 की प्रविष्टि आराजीराज दर्ज है। उक्त रकबे के संबंधी प0ह0 दन्तौर उपलब्ध नामान्तरण पंजिका में दर्ज नहीं है। टीआरए रिपोर्ट अनुसार हंसराज पुत्र रामलाल को चक 21 बीएलडी के मु0नं0 216/18 में किला नं0 1 ता 11, 13 ता 18, 22 ता 25 की 21.00 बीघा अ0क0 खाता फटा होने से मु0नं0 व किला नं0 नहीं है। कुल 40.00 बीघा अ0क0 रकबा है। अंकन नोट अनुसार 5.00 बीघा क0 व 35.00 अ0क0 बीघा अंकित है। भूमि की किश्ते जमा का अंकन है तथा सीएडी अन्तर राशि 69015/–शेष है। मूल आवंटन पट्टे से रकबे का मिलान किया जाना उचित है। प्रार्थी द्वारा मूल आवंटन पत्रावली की, जिसमें संलग्न आवंटन आदेश में प्रार्थी हंसराज के नाम चक 21 बीएलडी के मु0नं0 216/17 के किला नं0 1, 2, 7 ता 14, 17 ता 25 की 19.00 बीघा अ0क0, मु0नं0 216/18 के किला नं0 1 ता 11, 13 ता 18, 22 ता 25 की 21.00 बीघा अ0क0 कुल 40.00 बीघा अ0क0 भूमि अंकित है। बहस सुनी गई।

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र व प्रस्तुत दस्तावेज का अध्ययन अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। न्यायालय का उपलब्ध दस्तावेजों, आवंटन पत्रावली प्रमाणित प्रति के आधार पर

निष्कर्ष है कि प्रार्थी को चक 21 बीएलडी के मु0नं0 216/17 के किला नं0 1, 2, 7 ता 14, 17 ता 25 की 19.00 बीघा अ0क0, मु0नं0 216/18 के किला नं0 1 ता 11, 13 ता 18, 22 ता 25 की 21.00 बीघा अ0क0 कुल 40.00 बीघा भूमि आवंटित है। अतः मु0नं0 216/17 का किला नं0 7 आराजीराज के स्थान पर प्रार्थी के नाम दर्ज किया जाना न्यायसंगत है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र न्यायहित धारा 136 एलआरएक्ट एवं धारा 151 सीपीसी में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुवे स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खाजूवाला को आदेश किया जाता है कि उक्त वादगत भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में मु0नं0 216/17 का किला नं0 7 आराजीराज के स्थान पर प्रार्थी के नाम नियमानुसार दर्ज करें। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)